क्रम-संख्या 17

संख्या 1353/इक्कीस--3 (9)-71

प्रेषक,

श्री एम० लाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष, डिवीजनों के
आयुक्त, जिला मैजिस्ट्रेट, जिला तथा सेशन्स
न्यायाधीश और अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ, दिनांक 22 अप्रैल, 1972

विषय:— राज्य के समस्त सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग।

महोदय,

भाषा भाग-1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश क सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में अनिवार्यत: सभी काम करने के लगातार स्पष्ट आदेशों के बावजूद हाल में मुख्य मंत्री जी की जानकारी में यह बात आई है कि कुछ अधिकारियों द्वारा अंग्रजी में पत्र लिखे गये हैं और आदेश भी अंग्रेजी में जारी किये गये हैं। यह उचित नहीं है।

2—इस संबंध में मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किये गये आदेशों की ओर आकर्षित करना है, जिनमें इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है समस्त सरकारी कार्य अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही किया जाय और इस दिशा में तनिक भी शिथिलता न आने पाये। यह भी कहा जा चुका है कि अंग्रेजी इस प्रदेश की राजभाषा नहीं है अत: इसका प्रयोग पूरी तरह और तत्काल बन्द होना चाहिए और इन आदेशों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जायगा।

3—इन सब आदेशों को दृष्टि में रखते हुए समस्त सरकारी कार्यों में हिन्दी का पूरी तरह प्रयोग न होना अनधिकृत ही नहीं अपितु अनुशासनहीनता का द्योतक भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आदेशों की ओर आपके अधीनस्थ समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों का ध्यान पूरी तरह से आकर्षित नहीं किया गया है और उनके अनुपालन में पूर्णरूप से कड़ाई नहीं बरती गयी है।

4—अत: मुझे आपसे एक बार पुन: और अन्तिम रूप से यह अनुरोध करना है कि समस्त सरकारी कार्यों में अनिवार्य रूप से इस प्रदेश की राजभाषा हिन्दी का ही प्रयोग किया जाय। आपके तथा आपके सभी अधीनस्थ कार्यालयों से जितने भी पत्र तथा आदेश जारी हों न केवल सभी हिन्दी में हों बल्कि पत्रावलियों में सभी टिप्पणियां तथा आलेख्य हिन्दी में लिखे जायें। इस प्रकार निरीक्षण रिपोर्टें, कार्यवाहियां, नियमावलियां दौरों के कार्यक्रम आदि पूर्ण रूप से हिन्दी में ही तैयार किये जाने चाहिये। साथ ही सभी प्रकार के रजिस्टर, डायरियां आदि भी हिन्दी में भरी जानी चाहिये।

5—अनुरोध है कि इन आदेशों का अभी भी जो अधिकारी/कर्मचारी पालन करने में शिथिलता बरतें उनके विरुद्ध तत्काल अनुशासन की कार्यवाही की जाय तथा उसे कठोर दृष्टि से देखा जाय, तभी इन आदेशों का समुचित रूप से पालन सुनिश्चित किया जा सकता है।

भवदीय,
एम० लाल,
मुख्य सचिव।